भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2457
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ओडिशा में ग्रामीण विकास योजनाएं

2457. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में , विशेषकर बारगढ़ और झारसुगुडा में ग्रामीण विकास के अंतर्गत विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित की हैं;

(ख) क्या सरकार के पास विगत दो वर्षों के दौरान बारगढ़ और झारसुगुडा में ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों का ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार के पास विगत दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बारगढ़, ओडिशा और झारसुगुडा ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल निधियों की जानकारी है; और

(घ) क्या सरकार ने बारगढ़ और झारसुगुडा जिलों में ग्रामीण आजीविका एवं अवसंरचना में सुधार करने में इन योजनाओं के प्रभाव का कोई आकलन किया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने , ग्रामीण युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर मुख्य ध्यान देने के साथ ओडिशा के बारगढ़ और झारसुगुडा जिलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए बहु-आयामी कार्यनीतियों को अपनाया है। इस संबंध में , सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय

ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसे अनेक लक्षित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) को कार्यान्वित कर रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्षा सिंचित/निम्नकोटि की भूमि का विकास करना है।।

(ख): पिछले दो वर्षों के दौरान बारगढ़ और झारसुगुडा में ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों, जहां कहीं भी इनकी जानकारी रखी गयी है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों के दौरान ओडिशा के बारगढ़ और झारसुगुडा जिले में सृजित श्रम दिवसों की कुल संख्या क्रमश 88.06 लाख और 36.61 लाख है।

ii. पीएमएवाई-जी के तहत , पिछले 2 वर्षों के दौरान ओडिशा के बारगढ़ और झारसुगुडा जिले में कुल स्वीकृत मकान क्रमशः 27,105 और 11,628 हैं।

iii. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत , पिछले दो वर्षों के दौरान ओडिशा के बारगढ़ जिले में कुल 1,131 स्वयं सहायता समूह और 10,351 परिवारों को संगठित किया गया तथा झारसुगुडा जिले में कुल 402 स्वयं सहायता समूह और 3,740 परिवारों को संगठित किया गया।

iv. डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान बारगढ़ में कुल 554 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 587 अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया तथा ओडिशा के झारसुगुडा जिले में कुल 213 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 160 अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया।

v. आरएसईटीआई के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान कुल 1331 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 1217 अभ्यर्थियों को बारगढ़ में नियोजित किया गया , तथा ओडिशा के झारसुगुडा जिले में कुल 1665 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 1667 अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया।

vi. एनएसएपी के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान ओडिशा के बारगढ़ और झारसुगुडा जिले में लाभार्थियों की कुल संख्या क्रमशः 1,37,827 और 42,018 है।

vii. पीएमजीएसवाई लाभार्थी उन्मुख योजना नहीं है।

viii. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां इस मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की जाती है, जो आगे संबंधित जिलों को जारी की जाती हैं। इसलिए , यह मंत्रालय जिलों को निधियां आवंटित नहीं करता है। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बारगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों सहित ओडिशा राज्य में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल निधियाँ , जहां कहीं भी इनकी जानकारी रखी गयी है, निम्नानुसार हैं:

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना

(रूपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	**कुल व्यय (राज्य अंश सहित)**	
	बारगढ़	**झारसुगुडा**
2022-23	16533.36	5636.47
2023-24	15640.96	5491.04
2024-25 (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	6594.65	2435.18

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

ii. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी)

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**जारी केंद्रीय**	**जारी राज्य अंश**	**उपयोग**
2022-23	1,723.27	1,148.85	310.82
2023-24	4,310.70	2,873.80	7,643.52
2024-25 (02.12.2024 तक)	41.32	27.54	1,913.87

iii. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**आवंटित**	**जारी**	**व्यय (राज्य अंश सहित)**
2022-23	1235.88	1235.88	2088.90
2023-24	1262.55	1262.55	1589.80
2024-25 (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	900.00	479.89	479.11

iv. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम)

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज
2022-23	49358.92	61698.65
2023-24	49358.92	49358.91
2024-25 (30 नवंबर, 2024 तक)	60330.96	0.00

v. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष	जारी निधियां
2022-23	175.77
2023-24	3630.14
2024-25	0.00

vi. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष	जारी निधियां
2022-23	1133.50
2023-24	1250.76
2024-25	1464.00

vii. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित/जारी निधि
2022-23	68058.44
2023-24	68547.36
2024-25 (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	14149.43

स्रोत:- एनएसएपी-पीपीएस

viii. वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0)

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**जारी केंद्रीय अंश**	**उपयोग की गई** निधियां *
2022-23	45.39	156.65
2023-24	146.00	275.96
2024-25	31.83	105.03

* उपयोग की गई निधियों में जारी केन्द्रीय अंश और राज्य अंश दोनों शामिल हैं

(घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन पर जोर देता है। निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का कार्यक्रम -वार विश्लेषण किया जाता है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में कुछ प्रमुख कार्यनीतियाँ इस प्रकार हैं:-

i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएँ अपना लक्ष्य प्राप्त करें, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है , जिसमें निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ("दिशा") बैठकें , राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाएँ , सामान्य समीक्षा मिशन , समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-विशिष्ट समीक्षाएँ भी समय-समय पर की जाती हैं और उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। एनएलएम ने 2021-22 में मनरेगा योजना और पीएमएवाई-जी की विशेष निगरानी को शामिल किया , झारसुगुडा जिले को 2021-22 में और बारगढ़ जिले को 2022-23 में नियमित निगरानी के तहत शामिल किया गया।

ii. ग्रामीण विकास की योजनाओं को एंड-टू-एंड ट्रांजैक्शन आधारित एमआईएस से जोड़ा गया है, जिससे सभी हितधारकों को वास्तविक समय के आधार पर योजनाओं की स्थिति की निगरानी करने में मदद मिलती है। जियो-टैग और टाइम स्टैम्प के साथ कार्यों की तस्वीरें ली जाती हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं का सारा डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

iii. उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करता है, वन अनापत्ति को सुगम बनाता है , श्रमबल, तकनीकी सहायता आदि के लिए संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

iv. महात्मा गांधी नरेगा और पीएमएवाई-जी जैसी कुछ योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा भी की जाती है। मनरेगा कार्यों से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर

करने के लिए लोकपाल भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं में शिकायत निवारण पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

v. राज्यों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह दी गई है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। कर्मचारियों की भर्ती और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। समय-समय पर कार्यक्रम कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अभिविन्यास की भी व्यवस्था की जाती है।

vi. प्रशासनिक और तकनीकी निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। निरीक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन अर्थात क्षेत्र अधिकारी ऐप विकसित किया गया है। इसी तरह के ऐप अन्य क्षेत्रों में भी विकसित किए गए हैं और आवश्यकताओं के आधार पर यह एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारियों के कार्य निष्पादन की निगरानी इन ऐप्स के द्वारा की जाती है।

vii. निधि जारी करने के प्रस्ताव और दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय किया जाता है और इस संबंध में उन्हें समय पर परामर्श प्रदान किया जाता है। विलंब की स्थिति में, निधि जारी करने के लिए मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है।

viii. योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन हेतु जमीनी स्तर पर मांग सृजित करने के लिए महिला नेटवर्क, समुदाय आधारित संगठनों और नागरिक समाज संगठनों को संगठित किया जाता है।

ix. मनरेगा के तहत स्थानीय निकायों को कार्य स्वीकृत करने , मांग पर कार्य उपलब्ध कराने और मजदूरी भुगतान को अधिकृत करने के लिए पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर उन्हे सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है।

x. पीएमएवाई-जी के तहत, प्रदर्शन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों को पुरस्कार दिए जाते हैं , जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा पैदा होती है।

xi. पीएमजीएसवाई के तहत, राज्य और केंद्रीय दोनों प्राधिकरण विभिन्न नोडल एजेंसियों और विशेषज्ञों के साथ समन्वय के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और मुद्दों को हल करने तथा सभी शेष कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।